प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1049/2013

1. गयाराम पुत्र खेदूराम साहू आयु लगभग 35 वर्ष निवासी डिंडौरी, थाना लालपुर, राजस्व जिला मुंगेली, सिविल जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़
2. दयाराम पुत्र खेदूराम साहू आयु लगभग 30 वर्ष निवासी डिंडौरी, थाना लालपुर, राजस्व जिला मुंगेली, सिविल जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

.....अपीलार्थीगण

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र लालपुर, राजस्व जिला मुंगेली, सिविल जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

.....उत्तरदाता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 1049/2013

1. बली राम साहू और अन्य पुत्र नट राम साहू आयु लगभग 70 वर्ष निवासी ग्राम डिंडोरी, थाना लालपुर, जिला बिलासपुर, वर्तमान जिला मुंगेली छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. भूपेश साहू पुत्र बली राम साहू आयु लगभग 37 वर्ष निवासी ग्राम डिंडोरी, थाना लालपुर, जिला बिलासपुर, वर्तमान जिला मुंगेली छत्तीसगढ़

.....अपीलार्थीगण

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र लालपुर, राजस्व जिला मुंगेली, सिविल जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

.....उत्तरदाता

अपीलार्थीगण के लिए: श्री आशुतोष त्रिवेदी सी.आर.ए. संख्या 1049/13 में तथा श्री विनय दुबे और श्री सुनील पिल्लई, अधिवक्तागण

प्रतिवादी/राज्य के लिए: श्री आनंद वर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति माननीय मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

बोर्ड पर निर्णय न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, द्वारा

02/05/2019

ये दो संबंधित अपीलें सत्र न्यायाधीश, मुंगेली जिला बिलासपुर द्वारा एस.टी. क्रमांक 49/2011 में दिनांक 19 अगस्त 2011 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश से प्रोदभूत हुई हैं, जिसके तहत अपीलार्थीगण को अपराध कारित करने हेतु दोषसिद्ध किया गया और निम्नानुसार दण्डित किया गया है:-

दोषसिद्धि	दंड
धारा 302/149 भादवि के तहत	आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना, व्यतिक्रम की शर्तो के साथ
धारा 307/149 भादवि के तहत	आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना, व्यतिक्रम की शर्तो के साथ
धारा 148 भादवि के तहत	तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा रूपए 500/- जुर्माना, व्यतिक्रम की शर्तो के साथ ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन का कथा सार, जैसा कि मामले के अभिलेखों और आक्षेपित निर्णय से ज्ञात होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा देवेंद्र और गोवर्धन पर हमला करने की सूचना मिलने पर, पुलिस 17.07.2011 को डिंडोरी गांव में घटनास्थल पर पहुंची और पुना राम (अ.सा.-2) जो घटनास्थल पर उपस्थित बताया गया है, ने घटना के बारे में जानकारी दी और शव पाया, जिसके कारण अ.सा.-2 पुना राम के कहने पर मर्ग सूचना और देहाती नालिशी (घटना स्थल पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन) दर्ज की गई। मर्ग और (घटना स्थल पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन) में, यह दर्ज किया गया था कि बली राम और संत राम के बीच संपत्ति से संबंधित विवाद का अस्तित्व था। गोवर्धन के पुत्र संत राम, ने खेत में सोयाबीन बोया था। इसमें आगे दर्ज किया गया कि शोर मचा कि बली राम और उसके परिवार के

सदस्यों ने गोलियाँ चलाई है और बली राम, उसके पुत्र राजेश, भूपेश और महेश एक व्यक्ति को जमीन पर घसीटते हुए देखे गए, जिसके बाद पुना राम अपने घर आया और फिर गौतम के घर गया, जहां गोवर्धन घायल अवस्था में पड़ा मिला, जिसने बताया कि बली राम, भूपेश, राजेश और महेश ने उस पर और उसके भाई देवेंद्र पर गोली चलाई है। इसी तर्ज पर, थाने में घटना स्थल पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन और मर्ग, बिना नंबर की प्रथम सूचना प्रतिवेदन और मर्ग दर्ज किया गया। देवेंद्र का शव, शव परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया। डॉ. आर.एस. अयाम अ.सा.-7 ने शव परीक्षण किया और प्रदर्श पी-23 में रिपोर्ट तैयार किया। गोवर्धन का भी चिकित्सकीय परीक्षण डॉ. विभा सिंदूर अ.सा.-6 द्वारा किया गया। देवेंद्र के शव परीक्षण में कुछ चोटें पाई गईं और चिकित्सक के अभिमत के अनुसार, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण गर्दन पर गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई। गोवर्धन को भी गोली लगने की सूचना मिली थी। मामले की विवेचना की गई और और बली राम, राजेश, भूपेश, महेश, गया राम और दया राम के खिलाफ अभियोग पत्र दायर किया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि घटनास्थल पर संपत्ति विवाद के कारण, अपीलार्थीगण और अन्य आरोपियों ने गोवर्धन और देवेंद्र पर गोलियां चलाईं, जिसमें गोवर्धन बच गया, लेकिन देवेंद्र की हत्यात्मक मृत्यु हो गई। आरोप विरचित किये जाने पर अभियुक्तगण ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया तथा उन का विचारण प्रारम्भ किया गया। इस स्तर पर यह ध्यान रखना सुसंगत है कि राजेश और महेश नाम के दो आरोपी फरार रहे और वर्तमान अपीलार्थीगण का विचारण किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन ने अपना मामला साबित करने के लिए चक्षुदर्शी साक्षी गोवर्धन अ.सा.-3 और कोमल साहू अ.सा.-11 का परीक्षण कराया। अपीलार्थीगण ने बचाव में एक साक्षी का परीक्षण कराया। अपीलार्थीगण ने अपने दंड प्रक्रिया संहिता 313 के कथन में अपराध करने से इनकार किया और मामले में खुद को निर्दोष और झूठे फंसाए जाने का अभिवाक किया।

4. हालांकि, विद्वान विचारण न्यायालय ने गोवर्धन और कोमल साहू के चक्षुदर्शी साक्ष्य, मृतक देवेंद्र और आहत गोवर्धन के शरीर पर मिली बंदूक की गोली के घाव के संबंध में

चिकित्सकीय साक्ष्य पर भरोसा किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता बली राम को आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत भी अपराध करने का दोषी पाया। अपीलार्थीगण को धारा 149 भादवि की सहायता से धारा 302 भादवि के तहत दोषी ठहराया गया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय की विधिकता एवं वैधता पर प्रश्न उठाते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला अत्यंत संदिग्ध है तथा मिथ्या आरोप का मामला है। तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि कि बलि राम एवं संत राम, गोवर्धन के पिता के बीच सम्पत्ति विवाद था। उन्होंने तर्क दिया कि किसी ने देवेन्द्र पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी तथा संदेह के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध झूठा मामला तैयार किया गया। तर्क दिया गया कि अ.सा.-3 गोवर्धन का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसका यह साक्ष्य कि सिर में गोली लगने के पश्चात वह उठा, भागा तथा अन्य लोगों को घटना की सूचना देने चला गया, अत्यंत असंभाव्य है। अन्यथा उसका कथन घटना के घटित होने के तरीके के संबंध में भौतिक विरोधाभासों एवं लोप से ग्रस्त है। जहां तक अन्य साक्ष्यों का प्रश्न है चक्षुदर्शी साक्षी कोमल साहू अ.सा.-11 के सम्बन्ध में तर्क दिया गया है कि इस साक्षी का आचरण अत्यधिक संदिग्ध है तथा उसने घटना देखी थी, क्योंकि उसके अनुसार गोलीबारी की घटना देखने के बाद वह भाग गया तथा अपने भाई रविकांत को बुलाकर हरदी चला गया। उसने न तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तथा न ही मृतक देवेन्द्र व घायल गोवर्धन के परिजनों को, जिनके यहां कि वह काम करता था, सूचना दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि गोवर्धन को लगी चोट के संबंध में डॉ. विभा सिंदूर अ.सा.-06 का साक्ष्य अत्यधिक संदिग्ध है क्योंकि न तो कोई उचित जांच की गई है और न ही चोट की प्रकृति और सीमा संभावित है क्योंकि गोवर्धन के अनुसार, चोट लगने के बाद भी वह मौके से भाग गया, दूसरों को सूचित किया और अन्य कदम उठाए जिसमें कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अपना मृत्युकालिक कथन दर्ज करवाना भी शामिल था जो संभव नहीं था और चिकित्सक द्वारा बताई गई चोट के

मद्देनजर, चोट की प्रकृति और सीमा और गोवर्धन के आचरण दोनों के संबंध में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है। जहां तक देवेंद्र की चोट की प्रकृति और सीमा और मृत्यु के कारण का प्रश्न है, यह तर्क दिया गया है कि डॉ. आर.एस.आयम अ.सा.-7 का साक्ष्य, जिन्होंने शव परीक्षण किया था, मृत्यु की प्रकृति और कारण के संबंध में निर्णायक नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर चिकित्सक ने निष्कर्ष निकाला हो कि चोट बंदूक की गोली से लगी थी, क्योंकि मृतक के शरीर पर या घटनास्थल पर कोई छर्रे नहीं पाए गए थे और घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद होने मात्र से यह साबित नहीं होता कि यह गोली लगी थी।

देवेंद्र को बंदूक से गोली मारी गई और गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तर्क दिया गया कि हालांकि बली राम के कब्जे से बंदूक बरामद की गई है, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि इसे चलाया जा सकता था या घटना के समय या उसके आसपास वास्तव में गोली चलाई गई थी। इसके विपरीत, बचाव पक्ष ने साक्षियों का परीक्षण कराया और बंदूक के प्रयोग की असंभाव्यता और उस बंदूक से गोवर्धन को चोट लगने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस प्रकार, पूरे अभियोजन पक्ष के मामले का आधार यह नहीं बनता कि बली राम ने गोवर्धन पर गोली चलाई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले में गया राम और दया राम की संलिप्तता पूरी तरह से बाद में की गई है क्योंकि न तो घटना के तुरंत बाद गोवर्धन द्वारा दिए गए तथाकथित मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-10 में और न ही मर्ग या प्रथम सूचना प्रतिवेदन में गया राम और दया राम का नाम लिया गया है। विवेचना के बाद के चरण में ही उनके नाम शामिल किए गए हैं। आगे तर्क यह है कि धारा 149 भादवि की सहायता से देवेंद्र की हत्या के लिए बाली राम और भूपेश के दंड को स्थिर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चक्षुदर्शियों के साक्ष्य के अनुसार भी घटना घटनास्थल पर हुई थी और मृतक और गोवर्धन खेत पर पहुंचे और माप-जोख में लगे थे। अभियोजन पक्ष के साक्षी के अनुसार बली राम ने गोवर्धन पर गोली चलाई, अतः बली राम के कृत्य के लिए अन्य आरोपियों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को प्रतिनिधिक रूप से दायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इस बात का कोई विशेष साक्ष्य नहीं है कि विधि विरुद्ध जमाव का उद्देश्य यह था कि वे सभी गोवर्धन की हत्या करने के आशय से आए थे। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि देवेंद्र पर गोली चलाने का आरोप राजेश पर है, जो फरार है। जहां तक वर्तमान मामले का प्रश्न है जहां तक अपीलार्थीगण का प्रश्न है, वर्तमान अपीलार्थीगण को राजेश द्वारा गोली चलाकर देवेंद्र की हत्या करने के कथित कृत्य के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता। विधि विरुद्ध जमाव के गठन और सामान्य आशय के सुदृढ़ साक्ष्य न होने की स्थिति में, कोई व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत आपराधिक कृत्य के लिए ही उत्तरदायी होगा। अतः , देवेंद्र की कथित हत्या के लिए, बली राम, उसके पुत्र भूपेश या अन्य दो अपीलकर्ता गया राम और दया राम को धारा 149 भादवि की सहायता से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि गोवर्धन के शरीर पर मिली चोट की प्रकृति और सीमा बली राम द्वारा एक ही बंदूक की गोली होने से संबंधित है। गोवर्धन लगभग 3 दिनों तक अस्पताल में रहा और यह मानने का कोई आधार नहीं है कि उसे गंभीर चोटें आईं। चोट की प्रकृति और सीमा के संबंध में चिकित्सक (अ.सा.-6) की रिपोर्ट यह विश्वास नहीं दिलाती है कि कोई गोली अंदर घुसी थी और फिर घाव मौजूद था। ये केवल चिकित्सक के अनुमान थे और इसी कारण से चिकित्सक अ.सा.-6 के अनुसार यह केवल संभव ही कहा जा सकता है, निर्णायक नहीं। गोवर्धन अपोलो अस्पताल में भर्ती था और उसके घाव प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-1 से यह साबित नहीं होता कि उसे ऐसी कोई चोट लगी है। यह तर्क किया गया है कि यदि गोली सिर में लगी होती और मस्तिष्क के माध्यम से निकल जाती तो चोट और भी गंभीर होती, लेकिन अपोलो अस्पताल में चिकित्सक द्वारा गोवर्धन को दिए गए घाव प्रमाण पत्र में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अतः इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए धारा 307 भादवि के तहत आजीवन कारावास से दण्डित किया जाना अपराध की गंभीरता के अनुपात में नहीं है और चूंकि वह पहले ही लगभग साढ़े सात वर्ष से अधिक का दंड भुगत चुका है। और उसकी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आयु लगभग 75 वर्ष है, अतः धारा 307 भादवि के तहत दोषसिद्धि को उसके द्वारा पूर्व से भुगती गई अवधि तक न्यून किया जा सकता है।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि बली राम द्वारा गोवर्धन पर हमला और राजेश द्वारा देवेंद्र पर हमला, आहत साक्षी गोवर्धन और कोमल साहू अ.सा.-11, उनके नौकर जो घटनास्थल पर मौजूद थे, के प्रत्यक्षदर्शी कथन से साबित होता है। गोवर्धन को लगी चोट की प्रकृति और सीमा में कुछ साधारण विसंगति हो सकती है, लेकिन, यह अपने आप में उनके साक्ष्य को असम्भाव्य नहीं बनाता, क्योंकि चिकित्सक ने उसके सिर पर गोली के निशान पाए हैं। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, बली राम के कब्जे से एक 12 बोर की बंदूक जब्त की गई थी। गोवर्धन का इलाज करने वाले चिकित्सक ने यह आभास दिया था कि गोली सिर को चीरती हुई निकल गई थी, लेकिन गोवर्धन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चोट लगने के बावजूद, वह भागने की फिराक में था। 12 बोर की बंदूक से छोटी गोलियां चलीं, बड़ी गोलियां नहीं, अतः चिकित्सक द्वारा गोवर्धन के चिकित्सकीय जांच में केवल इस विसंगति के आधार पर, उस पर और देवेंद्र पर गोली चलाने की घटना के बाद गोवर्धन के भाग जाने के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता। यह तर्क दिया गया है कि गोवर्धन आहत साक्षी था, अतः उसके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि जहां तक कोमल साहू अ.सा.-11 का प्रश्न है, उसके पुरजोर साक्ष्य से उसकी घटनास्थल पर मौजूदगी साबित होती है। वह गोवर्धन अ.सा.-2 के साक्ष्य की भी पुष्टि करता है। केवल अतः कि वह घटना से घबरा गया था, वह घटनास्थल से भाग गया और उसने खुद को गोली नहीं मारी। मृतक के गांव में वापस आने पर, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह न्यायालय में मिथ्या कथन कर रहा था था। आगे यह तर्क है कि वर्तमान मामले में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन और मर्ग सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा ली गई थी जो तुरंत मौके पर पहुंचे और अ.सा.-2 पुना राम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह गौतम के घर गया था, तो उसने गोवर्धन को घायल अवस्था में पाया और वहां, गोवर्धन ने हमलावरों के रूप में अपीलार्थीगण के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नामों का खुलासा किया था, जो तथ्य उसने तुरंत मौके पर पुलिस अधिकारियों को बताया था। यह भी तर्क दिया गया है कि चिकित्सा साक्ष्य में मामूली विसंगति अ.सा.-2, 3 और 11 के साक्ष्य को दूषित नहीं करेगी हालांकि, चोट की सीमा के संबंध में कुछ विसंगति हो सकती है लेकिन चिकित्सकों ने बंदूक की गोली की चोट के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है और यहां तक कि गोवर्धन के उपचार के संबंध में जारी घाव प्रमाण पत्र भी साबित करता है कि यह बंदूक की गोली की चोट का मामला था। पुलिस ने घटनास्थल से विभिन्न वस्तुएं जब्त कीं, बलि राम के कब्जे से एक बंदूक भी जब्त की गई। देवेंद्र का शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक की राय, उसके शरीर पर मिली चोट की प्रकृति और सीमा के संबंध में निर्विवाद है, चोट की प्रकृति और सीमा दोनों के संबंध में, स्पष्ट रूप से साबित होता है कि देवेंद्र की गर्दन पर कई छर्रे लगे थे, जो 12 बोर की बंदूक से चलाई जा सकती थी, जिसके खाली कारतूस घटना स्थल पर मिले और जब्ती साक्षी अ.सा.-2 पुना राम की उपस्थिति में जब्त किए गए, जिन्होंने इस संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है। राज्य के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि भले ही शुरू में गया राम और दया राम का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष के साक्षियों गोवर्धन अ.सा.-3 और कोमल साहू अ.सा.-11 ने घटना को देखा था दया राम और गया राम के साथ बली राम, जिसके तीन पुत्र राजेश, भूपेश और महेश हैं, की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है। राज्य के अधिवकता ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थीगण के साथ अन्य आरोपियों का घटनास्थल पर पहुंचना, जिनमें से एक बली राम बंदूक से लैस था, स्पष्ट रूप से साबित करता है कि अपीलार्थीगण ने देवेंद्र और गोवर्धन की हत्या करने के सामान्य आशय से विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया था, जिसके बाद सबसे पहले बली राम ने गोवर्धन को गोली मार दी और उसके बाद राजेश ने अपने पिता बली राम के हाथों से बंदूक लेकर देवेंद्र पर गोली चला दी, जिसमें देवेंद्र की मृत्यु हो गई और गोवर्धन के सिर पर गंभीर चोट आई।

8. हमने पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. विवेचना अधिकारी अ.सा.-12 का साक्ष्य यह है कि उसने पुना राम द्वारा दी गई रिपोर्ट पर देहाती नालिशी प्रदर्श पी.-2 (घटनास्थल पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन) दर्ज की तथा प्रदर्शपी.-4 में मर्ग सूचना की रिपोर्ट भी उसने ही दर्ज की। पुना राम अ.सा.-2 ने यह कथन किया है कि 17.7.2011 को जब वह घर लौटा तो उसने गोली चलने की आवाज सुनी तथा जब वह आगे बढ़ा तो उसे कुछ बच्चों ने बताया कि बली राम ने गोली चलाई है तथा उसने देखा कि बली राम, उसका बेटा राजेश, भूपेश तथा महेश एक व्यक्ति को जमीन पर घसीट रहे हैं, जिसके बाद वह अपने घर आया तथा गौतम के घर गया जहां उसने गोवर्धन को देखा जो खून से लथपथ था। पूछताछ करने पर गोवर्धन ने बताया कि बली राम तथा उसके पुत्र राजेश, भूपेश, महेश ने उस पर गोली चलाई तथा उन्होंने देवेन्द्र पर भी गोली चलाई है। उसने उससे अनुरोध किया कि वह अपनी पत्नी तथा पिता को इसकी सूचना दे। इसके बाद गोवर्धन की पत्नी अनीता और संत राम मौके पर पहुंचे, तोखन जीप लेकर आया और फिर गोवर्धन को मुंगेली के अस्पताल ले जाया गया। इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया कि इसके बाद वह घटनास्थल की ओर गया जहां उसने देखा कि देवेंद्र का शव बली राम के खेत के पास पड़ा था और फिर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और उसने घटनास्थल पर मर्ग सूचना प्रदर्श पी-4 और देहाती नालीशी प्रदर्श पी-2 में दर्ज कराई। मर्ग सूचना प्रदर्श पी-4 और देहाती नालीशी प्रदर्शपी-2 में यह दर्ज है कि उसने सुना कि बली राम और उसके परिवार के सदस्यों ने गोली चलाई और बली राम और उसके तीन बेटों ने एक व्यक्ति को खेत में घसीटा, इसके बाद वह गौतम के घर गया और गोवर्धन से मिला और तब गोवर्धन ने बताया कि बली राम और उसके बेटों ने उस पर और देवेंद्र पर गोली चलाई जिससे वह घायल हो गया और देवेंद्र की मृत्यु हो गई। देहाती नालिशी की विषय-वस्तु भी ऐसी ही है। मौके पर मर्ग के आधार पर थाने में बिना क्रमांक की प्रथम सूचना प्रतिवेदन और मर्ग दर्ज की गई। हालांकि, यह पाया गया कि मर्ग सूचना और घटनास्थल पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन या यहां तक कि बिना क्रमांक की मर्ग और प्रथम सूचना प्रतिवेदन में भी गया राम और दया राम का नाम नहीं था। अ.सा-2 पुना राम ने अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गोवर्धन ने अपीलार्थीगण का नाम बताते हुए दया राम और गया राम का भी नाम लिया था।

10. अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से अ.सा.-3 और अ.सा.-11 द्वारा दिए गए प्रत्यक्षदर्शी बयान पर आधारित है। अ.सा.-3 गोवर्धन मृतक देवेंद्र का भाई है और वह स्वयं आहत साक्षी है। उसने कथन किया है कि 17.7.2011 को वह अपने भाई देवेंद्र के साथ रायपुर से गांव आया था और पड़ता खेत में पहुंचा था। दोपहर करीब डेढ़ बजे भाई देवेन्द्र, पुनीत निषाद और कोमल साहू के साथ खेत की नाप करने लगे, उसी समय करीब दो बजे बलि राम, उसके पुत्र भूपेश, राजेश और महेश तथा गया राम और दया राम मौके पर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए खड़े होने को कहा, जिसके बाद बलि राम ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसके सिर में चोट लग गई और वह गिर गया, इसके बाद भूपेश, महेश, दया राम और गया राम ने लाठी से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद राजेश ने बलि राम के हाथ से बंदूक छीन ली और देवेन्द्र पर गोली चला दी, जिससे देवेन्द्र गिर गया और इसके बाद आरोपियों ने उसके भाई पर कुल्हाड़ी और डंडे से हमला कर दिया। जब वह भागने लगा तो राजेश ने उसका पीछा करते हुए मुख्य सड़क तक पहुंचा दिया, इसके बाद राजेश ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वह बाल-बाल बच गया। इसके बाद वे गौतम साहू के घर गए और घटना की जानकारी दी और उसी समय पूना साहू भी आ गए और उन्हें भी घटना की जानकारी दी गई। उन्हें मुंगेली के अस्पताल ले जाया गया और वहां से उन्हें सिम्स, बिलासपुर और फिर बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि वे करीब 6 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे और फिर जब वे अस्पताल में भर्ती हुए तो उनकी मृत्युकालिक घोषणा प्रदर्श पी-10 कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई। उनका कहना है कि अपीलार्थीगण और उनके पिता के बीच पुराना संपत्ति विवाद है और इसी संपत्ति विवाद के चलते अपीलार्थीगण ने हमला किया। उसका विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया गया और पता चला कि जिस खेत में वे नाप-जोख कर रहे थे, वह उनके नाम पर दर्ज नहीं है, लेकिन उनके अनुसार नाना राम और दानूराम ने कृषि भूमि अपने दादा को बेच दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसने कहा कि उसके पास कोई विक्रय विलेख नहीं है। उसने बयान दिया है कि उसे तीन गोलियां लगी हैं। उसने आगे स्वीकार किया कि अपीलार्थीगण की रिपोर्ट पर उसके पिता और परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला भी शुरू किया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि राजेश ने अपनी पत्नी के खिलाफ पंचायत चुनाव लड़ा था, जिसमें वह हार गया था। यह सुझाव कि अपीलार्थीगण ने बलि राम को घेर लिया था और बलि राम को आत्म रक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए गोली चलानी पड़ी, का खंडन किया गया है।

11. गोवर्धन आहत साक्षी है और चिकित्सक अ.सा.-6, जिसने चिकित्सकीय परीक्षण किया था, ने गोवर्धन को लगी चोटों के बारे में बयान दिया था। वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुंगेली में पदस्थ चिकित्सक थी और जांच के बाद उसने कहा कि गोवर्धन को गोली लगी है और उसके अनुसार 5 चोटें पाई गई हैं। गोवर्धन के सिर पर गोली लगने के निशान पाए गए हैं तथा इसके अलावा बाएं हाथ, दाएं पैर तथा बाएं कान पर तीन खरोंच के निशान पाए गए हैं, जो किसी कठोर तथा कुंद वस्तु से लगने के कारण हो सकते हैं, जो कि सामान्य प्रकृति के हैं। उसने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जांच के समय गोवर्धन का बयान लिया गया था तथा उसने स्वीकार किया है कि गोली लगने की पुष्टि सीटी स्कैन तथा एक्स-रे के पश्चात ही हो सकती है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि गोवर्धन को कम दूरी से गोली मारी गई थी, अतः गोली आर-पार हो गई तथा ऐसी स्थिति में घायल व्यक्ति 15-20 फीट की दूरी तक भी नहीं भाग सकता था तथा पूरी संभावना है कि बेहोश होकर मर जाना ऐसी चोट से व्यक्ति को गंभीर चोट लग सकती है। चिकित्सक के इस साक्ष्य से संकेत लेते हुए गोवर्धन अ.सा.-3 के साक्ष्य की सत्यता पर गम्भीर संदेह किया गया है। तर्क दिया गया है कि इस प्रकार की चोट में गोवर्धन के लिए वहाँ से उठकर भाग जाना, गौतम के घर जाना तथा उसके बाद अन्य गतिविधियाँ करना असम्भव था। यद्यपि गोवर्धन की एम.एल.सी. करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य के आलोक में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि गोवर्धन के सिर में गोली लगी थी, तथा उसके सिर में प्रवेश तथा निकास का घाव था, किन्तु साक्ष्य तथा चिकित्सक की राय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा घाव प्रमाण-पत्र की अन्तिम जाँच करने पर यह पूर्णतः संदिग्ध है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गोवर्धन पर बंदूक से गोली चलाई गई थी, जिसे बाद में बलिराम के कब्जे से जब्त कर लिया गया। यह बारह बोर की बंदूक है, जो केवल छोटे छर्रे ही चला सकती है। यह असंभव है कि इस तरह की बंदूक की गोली की चोट पर, छोटे छर्रे सिर में मोटी खोपड़ी की हड्डी को भेदते हुए दूसरी तरफ से भी बाहर निकल जाएं। डॉ. विभा सिंदूर, अ.सा.-6 द्वारा गोवर्धन की जांच से ज्ञात होता है कि कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केवल एक सतही जांच थी, जिसके बाद कोई सीटी स्कैन, एक्स-रे या अन्य पुष्टिकरण परीक्षण नहीं किया गया था। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चिकित्सक द्वारा देखी गई चोटें बंदूक की गोली की चोट जैसी ही लगती हैं, क्योंकि सिर के सामने और पीछे के हिस्से पर छोटे-छोटे छेद दिखाई दे रहे थे, चिकित्सक को लग सकता है कि गोली सिर में सामने की तरफ से घुसकर पीछे की तरफ एक बाहरी घाव बना रही है। यहां तक कि चिकित्सक अ.सा.-6 के साक्ष्य से भी ज्ञात होता है कि यह एक संभावना थी और पुष्टिकरण नहीं। अगर गोली की चोट के कारण प्रवेश और बाहर निकलने वाला घाव होता, तो निश्चित रूप से मस्तिष्क को चोट लग सकती थी। मामला, वास्तव में बहुत गंभीर चोट का है। हालांकि, वर्तमान मामले में, वास्तव में ऐसी कोई चोट नहीं पाई गई है। हम पाते हैं कि गोवर्धन को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह कुछ दिनों तक भर्ती रहा और फिर घाव प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-1 के साथ छुट्टी दे दी गई। इसमें भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अतः , मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गोवर्धन पर बारह बोर की बंदूक से छोटे छर्रे दागे गए थे, जो उसके सिर पर न केवल ललाट पर बल्कि पीछे के हिस्से पर भी लगे, जिसकी व्याख्या खुद गोवर्धन के बयान से होती है, जिसने कहा है कि शुरू में वह यह नहीं देख पाया कि उस पर किसने गोली चलाई और जब वह भागने लगा, तो उस पर गोलियां चलती रहीं। निश्चित रूप से, छर्रे के घाव ललाट और पीछे दोनों हिस्सों पर पाए गए होंगे।

12. दूसरे प्रत्यक्षदर्शी, कोमल साहू, अ.सा.-11 का साक्ष्य भी विश्वसनीय है। वह आहत गोवर्धन का नौकर होने के कारण एक स्वाभाविक साक्षी है। उसने स्पष्ट रूप से यह बयान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिया है कि उसने देवेंद्र और गोवर्धन दोनों पर गोली चलने की घटना देखी थी। उसके अनुसार, घटना देखकर वह डर गया था और अतः वह मौके से भाग गया। उसने अपने भाई को फोन करके दूसरे गांव जाने और उसके बाद अगले दिन वापस आने की बात कही है। उस समय तक थाने में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। इस साक्षी का उपरोक्त आचरण, जिस पर बचाव पक्ष ने साक्षी पर संदेह करने के लिए भरोसा किया है, इतना संदिग्ध नहीं लगता कि उसके साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। किसी भी स्थिति का सामना करने पर व्यक्ति अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया कर सकता है। देवेंद्र और गोवर्धन पर गोली चलाने की भयावह घटना में, इस साक्षी की घटनास्थल से भागने की प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि वह उनका नौकर था और अतः , उसे डर था कि उस पर भी हमला हो सकता है और केवल अतः कि वह घटनास्थल से भाग गया और तुरंत दूसरों को सूचित करने के लिए गांव वापस नहीं आया, उसके साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हालांकि, हम पाते हैं कि जहां तक दया राम और गया राम का संबंध है, कथित घटना में उनकी भागीदारी संदिग्ध प्रतीत होती है। ऐसा अतः है क्योंकि घटनास्थल के प्रथम सूचना प्रतिवेदन में, जो घटना के तुरंत बाद पुना राम के कहने पर मौके पर दर्ज की गई थी और पुना राम के अनुसार, उसे गोवर्धन द्वारा सूचित किया गया था, गया राम और दया राम के नामों का हमलावरों के रूप में कोई उल्लेख नहीं है जो बली राम और उसके बेटों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हमला किया। मर्ग सूचना प्रदर्श पी-4 में दया राम और गया राम के नाम शामिल नहीं हैं।

14. गोवर्धन अ.सा.-3 ने यह बयान दिया है कि जब उसे गोली लगी थी, तब उसका मृत्युकालिक कथन भी दर्ज किया गया था। यह बयान घटना की तारीख को ही शाम को लगभग 4.00 बजे दर्ज किया गया था। चूंकि गोवर्धन बच गया था, अतः उसके तथाकथित मृत्युकालिक कथन को, मुंगेली तहसीलदार के समक्ष घटना के संबंध में पूर्व बयान माना जा सकता है। डॉ. विभा सिंदूर (अ.सा.-6) ने यह भी कहा है कि गोवर्धन का मृत्युकालिक कथन 17.7.2011 को लगभग 4.30 बजे उसकी उपस्थिति में दर्ज किया

गया था। गोवर्धन ने यह भी कहा है कि उसने मृत्युकालिक कथन दिया था। यह अभियोजन पक्ष का दस्तावेज है, अतः इसका उपयोग अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने के लिए किया जा सकता है। मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-10 में गया राम और दया राम कहीं भी शामिल नहीं हैं। गोवर्धन न केवल घायल साक्षी है बल्कि देवेंद्र पर हमले का साक्षी भी है। उसका बयान घटना के तुरंत बाद दर्ज किया गया था। प्रथम दृष्टया उस चरण में दया राम और गयाराम का उल्लेख न होना भी दया राम और गया राम की संलिप्तता के संबंध में गंभीर संदेह पैदा करता है। क्रमांकित एफआईआर प्रदर्शपी-7 में भी उसका नाम नहीं है। अतः दया राम और गया राम की संलिप्तता के संबंध में अ.सा.-3 गोवर्धन और अ.सा.-11 कोमल साहू के साक्ष्य संदेह से मुक्त नहीं हैं और अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बहुत बल है कि उन्हें घटना के काफी समय बाद जानबूझकर झूठा फंसाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. भादवि की धारा 149 प्रत्येक व्यक्ति को उस अपराध का दोषी बनाती है जो अपराध करने के समय विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। यह इस सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किए गए अविधिक कृत्यों के लिए विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों की रचनात्मक या प्रतिनिधिक दायित्व निर्धारित करता है। **सुबल घोराई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2013) 4 एससीसी 607** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकित किया है:-

> 49. अपने समक्ष तथ्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने देखा कि ऐसे मामलों में विवेक का नियम लागू किया जाना चाहिए। साक्षी के रूप में उन्हें साक्षी के रूप में उद्धृत किए जाने से अधिक कुछ आवश्यक होगा। इस न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायालय के पास यह राय बनाने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए कि अभियुक्तों ने एक सामान्य उद्देश्य साझा किया था। दोनों अभियुक्तों का उल्लेख करते हुए, जिनका नाम दोनों साक्षियों द्वारा लिया गया था, इस न्यायालय ने देखा कि उनके खिलाफ भी कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया गया था और अतः , उनकी उपस्थिति और या सामान्य उद्देश्य साझा करने के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है। इस न्यायालय ने घटना की वीभत्स प्रकृति पर ध्यान दिया। अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बावजूद भी न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया कि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास का कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए, भले ही वह सिर्फ

एक दर्शक रहा हो और उसके पास और कुछ नहीं था। यह देखते हुए कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इस न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया।

50. पांडुरंग चंद्रकांत म्हात्रे (2009) 10 एससीसी 773: (2010) 1 एससीसी (क्रि.) 413 में, सुसंगत निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के निर्धारण के लिए, हमले से पहले और हमले के समय विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य का आचरण सुसंगत विचार का विषय है। घटना के किसी विशेष चरण में, विधि विरुद्ध जमाव का उद्देश्य क्या है, यह तथ्य का प्रश्न है और इसका निर्धारण विधि विरुद्ध जमाव की प्रकृति, सदस्यों द्वारा लिए गए हथियारों और घटना स्थल पर या उसके निकट सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

52. उपरोक्त निर्णय भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के दायरे को रेखांकित करते हैं। हमें वर्तमान मामले की जांच उनके प्रकाश में करने के लिए सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव को पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा के रूप में परिभाषित करती है। उनका अपराध करने का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 142 यह मानती है कि जो कोई भी व्यक्ति तथ्यों से अवगत होते हुए भी जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध बनाता है, जानबूझकर उसमें शामिल होता है, वह उसका सदस्य होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए दंड का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में किसी विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रचनात्मक दायित्व का प्रावधान है, यदि उस विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के लिए कोई अपराध किया जाता है या उस विधि विरुद्ध जमाव के ऐसे सदस्यों द्वारा जो उस उद्देश्य के लिए किए जाने की संभावना जानते थे। विधि विरुद्ध जमाव का सबसे महत्वपूर्ण घटक आम उद्देश्य है। उस विधि विरुद्ध जमाव में शामिल व्यक्तियों का आम उद्देश्य उस धारा के खंड 'प्रथम', 'द्वितीय', 'तृतीय', 'चौथे' और 'पांचवें' में वर्णित कोई कार्य या कार्य करना है। आम उद्देश्य क्षण भर में बन सकता है। आम विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा अपनाई गई आचार-विचार एक सुसंगत कारक है। विधि विरुद्ध जमाव का आम उद्देश्य किस समय बना, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एक बार जब व्यक्ति का मामला भादवि की धारा 149 के अंतर्गत आता है, तो यह प्रश्न कि उसने अपने हाथों से कुछ नहीं किया, महत्वहीन हो जाएगा। यदि कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया सामान्य उद्देश्य के लिए अभियोजन में विधि विरुद्ध जमाव का कोई भी सदस्य, जो अपराध के समय मौजूद था और जिसने उस विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उद्देश्य को साझा किया था, उस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही उसके द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्य न किया गया हो। यदि हथियारों से लैस व्यक्तियों की एक बड़ी भीड़ इच्छित पीड़ितों पर हमला करती है, तो सभी वास्तविक हमले में भाग नहीं ले सकते। यदि कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए हथियारों का उपयोग नहीं किया गया था, तो यह उन्हें भादवि की धारा 149 की सहायता से अपराध के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगा, यदि वे विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को साझा करते हैं।

53. लेकिन रचनात्मक उत्तरदायित्व की इस अवधारणा को इतना नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि निर्दोष दर्शकों को गलत तरीके से फंसाया जा सके। अक्सर, लोग जिज्ञासा से अपराध के दृश्य पर इकट्ठा होते हैं। वे विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को साझा नहीं करते हैं। यदि बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ एक सामान्य आरोप लगाया जाता है, तो न्यायालय को सतर्क रहना होगा। इसे केवल निष्क्रिय दर्शकों को दोषी ठहराए जाने की संभावना से बचना चाहिए, जिनका विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य से कोई लेना-देना नहीं था। जब तक उचित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिस्थितियाँ अभियोजन पक्ष को यह आश्वासन न दें कि उनका विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य से कोई लेना-देना नहीं था, उन्हें भादवि की धारा 149 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रत्येक मामले में यह साबित किया जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति न केवल किसी चरण में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था, बल्कि सभी महत्वपूर्ण चरणों में था और सभी चरणों में सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा करता था। न्यायालय के पास यह राय बनाने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए कि अभियुक्तों का सामान्य उद्देश्य था। किसी विशेष चरण में विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य क्या है, इसका निर्धारण हमले से पहले और हमले के समय विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के आचरण, अपराध के दृश्य पर या उसके आस-पास उनके व्यवहार, अपराध के उद्देश्य, उनके द्वारा ले जाए गए हथियारों और इस तरह के अन्य सुसंगत विचारों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। दांडिक न्यायालय को निर्दोष लोगों को अपराध में शामिल होने से बचाने के लिए साक्ष्य का आकलन करने का यह कठिन और सावधानीपूर्वक अभ्यास करना पड़ता है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित ये सिद्धांत रचनात्मक उत्तरदायित्व की अवधारणा को कमजोर नहीं करते हैं। वे सावधानी के नियम को मूर्त रूप देते हैं।

16. भले ही हम गोवर्धन अ.सा.-3 और कोमल साहू अ.सा.-11 के अनुसार, यह बात स्पष्ट है कि जब गोवर्धन और देवेन्द्र खेतों में कुछ नाप जोख कर रहे थे, तभी बलि राम और उसके तीन पुत्र मौके पर पहुंचे और विवाद हो गया। यह झगड़ा संभवतः कृषि भूमि पर मालिकाना हक को लेकर पहले से चल रहे विवाद के कारण हुआ था, जिसकी नाप जोख

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गोवर्धन की मौजूदगी में देवेन्द्र ने की थी। बताया जाता है कि उसी समय बलि राम ने बंदूक थामे गोवर्धन पर गोली चला दी, जिससे गोवर्धन मौके से भाग गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब झगड़ा चल रहा था, तब फरार आरोपियों में से एक राजेश ने बलि राम के हाथ से बंदूक छीन ली और देवेन्द्र पर गोली चला दी, जो घातक साबित हुई और देवेन्द्र की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष के इस साक्ष्य से ज्ञात होता है कि घटनास्थल पर विवाद की उत्पत्ति अचानक हुई क्योंकि देवेन्द्र और गोवर्धन ने संपत्ति को अपना बताते हुए माप लेना शुरू कर दिया जबकि अपीलार्थीगण का देवेन्द्र और गोवर्धन के पिता संत राम के साथ पहले से ही विवाद था। इन परिस्थितियों में, यदि अचानक राजेश ने बली राम के हाथों से बंदूक छीन ली और देवेन्द्र पर गोली चला दी, तो बली राम को धारा 149 भादवि की सहायता से राजेश के आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जो फरार है। बली राम की ज़िम्मेदारी सबसे अच्छी स्थिति में गोवर्धन को घायल करने और देवेन्द्र की मृत्यु का कारण न बनने के उसके आपराधिक कृत्य तक ही सीमित होगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, देवेन्द्र पर लगी चोट की प्रकृति और सीमा और बंदूक का उपयोग निश्चित रूप से बली राम की ओर से यह साबित करता है कि उन गोलियों को मृत्यु का कारण बनने के आशय से चलाया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छर्रे से लगी चोटों के लिए लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी और यह केवल कुछ दिनों के लिए था और इसके अलावा इससे शरीर के किसी भी हिस्से को कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ है और इसके अलावा बली राम की आयु को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, भले ही गोवर्धन पर हमला करने के लिए धारा 307 भादवि के तहत उसके दंड की पुष्टि की जाती है, 7 वर्ष का दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप होगा। यह सूचित किया गया है कि वह अब तक 7 वर्ष से अधिक सश्रम कारावास का दंड भुगत चुका है।

17. हम, तदनुसार, निष्कर्ष निकालते हैं कि कथित घटना में गया राम और दयाराम की संलिप्तता संदेह से मुक्त नहीं है अतः, उन्हें संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। अतः उनके दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है और उन्हें मुक्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. जहां तक बली राम साहू का संबंध है, धारा 149 भादवि की सहायता से धारा 302 के तहत उसकी दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है। हालांकि, धारा 307 और 148 भादवि के साथ-साथ आयुध अधिनियम के तहत उनकी दोषसिद्धि यथावत रखी जाती है, हालांकि, धारा 307 और 148 भादवि के तहत अपराध कारित करने हेतु उसके दंड को उसके द्वारा भुगती गई अवधि तक न्यून की जाती है और उन्हें मुक्त भी किया जाता है।

19. घटना में भूपेश की संलिप्तता उनकी मात्र उपस्थिति पर आधारित है और उनके द्वारा किए गए किसी भी आपराधिक प्रत्यक्ष कृत्य की अनुपस्थिति में, धारा 149 भादवि की सहायता से धारा 302 और धारा 307/149 भादवि के तहत उनकी दोषसिद्धि विधिक रूप से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है अतः इसे अपास्त किया जाता है।

20. जहां तक धारा 148 भादवि के तहत उनकी दोषसिद्धि का संबंध है, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के पूरे मामले में उनके द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य कोई विशिष्ट सबूत नहीं है। उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर कि घटनास्थल पर विवाद अचानक उत्पन्न हुआ और गोवर्धन को बली राम ने गोली मार दी और उसके बाद राजेश ने उसके हाथ से बंदूक छीन ली और देवेंद्र पर गोली चला दी, हमारी सुविचारित राय में, अपीलकर्ता भूपेश की आपराधिक जिम्मेदारी धारा 148 भादवि के तहत स्पष्ट नहीं होती है।

21. तदनुसार, गयाराम, दयाराम और भूपेश की अपीलें स्वीकार की जाती हैं और उनकी दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है। बली राम की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

सही/-	सही/-
(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव)	(रजनी दुबे)
न्यायाधीश	न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur